

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.414 of 2020

=====

Smt. Kanti Kumari, W/o Sr. Daniel Kumar, resident of Bahadurpur Housing Colony, Bhutnath Road, P.S. Agamkuam, District - Patna.

... .. Petitioner/s

Versus

1. State of Bihar through the Secretary, Human Resources Development Department, Government of Bihar, Patna.
2. Director (Primary Education), Human Resources Development, Government of Bihar, Patna.
3. District Education Officer Patna District, Patna.

... .. Respondent/s

=====

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr.K.M.Joseph, Advocate
For the Respondent/s : Mr.Madhaw Prasad Yadaw (GP-23)

=====

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE ANIL KUMAR UPADHYAY
ORAL ORDER

2 14-02-2020 Heard learned counsel for the petitioner and the State.

The petitioner has earlier approached this Court in CWJC No. 12953 of 2019 which was disposed of on 01.07.2019, Annexure-7 to the writ petition. The representation of the petitioner was rejected on 04.09.2019, Annexure-9 to the writ petition.

From the perusal of Annexure-9 it appears that the District Education Officer, Patna has rejected the claim of the petition simply on the ground that the rule provides for preferential treatment to female and physically handicapped and reason for request transfer does not fall within the parameters of



the rule. Fallacy in the decision contained in Annexure-9 is apparent as the petitioner is lady and as such the petitioner deserves preferential treatment as per Annexure-9 which itself is indicative of non-application of mind by the respondents. In addition thereto Rule 5 of the Rules modified vide notification dated 21.03.2018 does not distinguish the case of different category of teacher in the matter of transfer on request. The only rider is four years period. Rule 5 is quoted below for ready reference.

5. शिक्षक स्थानान्तरण के सामान्य सिद्धान्त—(1) शिक्षकों का पद अस्थानान्तरणीय होगा परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में जिला के भीतर अवस्थित विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानान्तरण किया जा सकेगा—

(क) समान कोटि के शिक्षकों का पारस्परिक स्थानान्तरण अथवा

(ख) वर्तमान में प्रवृत्त स्थानान्तरण नियमावली के तहत प्रत्येक कोटि के शिक्षकों को अपने सेवा काल में अधिकतम दो स्थानान्तरण लेने की छूट दी गई है।

परन्तु प्रथम एवं द्वितीय स्थानान्तरण के मध्य कम-से-कम चार वर्षों का अंतराल होना आवश्यक होगा।

(ग) जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/सहायक

शिक्षक को, प्रशासनिक आधार पर, स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया जा सकेगा। प्रशासनिक आधार से निम्नलिखित अपिप्रेत है—

(i) प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक की प्रतिनिधियों का विद्यालय के अनुशासन तथा शैक्षणिक सातत्य पर कुप्रभाव जिसके कारण विद्यालय के हित में उन्हें स्थानान्तरण आवश्यक हो।

(ii) प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक ऐसी वित्तीय अनियमितता में संलग्न पाये गये हो जिसने सरकारी राशि के गबन एवं अनराधिक पावले सन्निहित हों।

(घ) बच्चों को निरुत्क एवं अनिर्णय शिक्षा अधिनियम-2009 (समय समय पर तथा संशोधित) के अधीन अभिवृत्त निम्नावली के प्रावधान के अनुरूप छात्र एवं शिक्षक के मध्य अनुपात को लागू करने के लिए शिक्षकों का स्थानान्तरण किया जा सकेगा। इस हेतु जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानान्तरण कर सकेंगे।

(2) पारस्परिक अथवा ऐच्छिक स्थानान्तरण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में आवेदन दिया जा सकेगा।

(3) ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु यदि किसी विद्यालय में एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होता है, तो वरीयतम शिक्षक को यहाँ से स्थानान्तरित किया जायेगा, परन्तु दिव्यांग एवं महिला शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) अन्तर जिला ऐच्छिक स्थानान्तरण सिर्फ मूल कोटि के शिक्षकों का होगा। अन्तर जिला स्थानान्तरण पर शिक्षक की वरीयता नये जिला सचिव में उनके नियुक्ति वर्ष में उस जिला के नियुक्त शिक्षकों से नीचे होगी।



Considering the aforesaid, Court finds that the decision as contained in Annexure-9 suffers from vice of total non application of mind. The order dated 04.09.2019, as contained in Annexure-9 is, accordingly quashed. Respondents are directed to take fresh decision and pass appropriate order in accordance with Rule 5 of the notification dated 21.03.2018, as quoted hereinabove, within a maximum period of 60 days from the date of receipt/production of a copy of this order.

With the aforesaid, the writ petition stands disposed of.

(Anil Kumar Upadhyay, J)

spandey/-

U			
---	--	--	--

